पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 ई0 (अग्रहायण 20, 1926 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून 248 006

अधिसूचना

सितम्बर 1, 2004

संख्या F-9(7)/RG/UERC/2004/532--विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करते हुए तथा इन शक्तियों द्वारा समर्थ हो कर व पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्;

अध्याय 1–प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा व्याख्या :

(1) ये विनियम, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।[1]

(3) ये विनियम दिनांक 01.04.2004 से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन न किया जाये, 5 वर्ष तक प्रवृत्त रहेंगे।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार :

(1) जहां दर निर्धारण बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार किया गया है, वहाँ आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, वह दर अपनायेगा।

(2) ये विनियम उन सभी अन्य मामलों में लागू होंगे जहाँ उत्तरांचल में पारेषण अनुज्ञापी के लिए दरें, पूंजी लागत पर आधारित, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना है।

[1]यह विनियम दिनांक 09.10.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

3. परिभाषाएं :

(1) 'अधिनियम' से तात्पर्य है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(2) 'अतिरिक्त पूंजीकरण' से तात्पर्य है, पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि के बाद वास्तविक रूप से हुआ पूंजीगत व्यय, जो कि प्रज्ञा जाँच के बाद, आयोग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं;

(3) 'आवंटित पारेषण क्षमता' से सामान्य स्थिति में तात्पर्य है, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली पर हिताधिकारियों को अनुज्ञेय निकासी के बिन्दु(ओं) तथा अन्तःक्षेपण के निर्दिष्ट बिन्दु(ओं) के मध्य, मेगावाट में ऊर्जा का अंतरण तथा 'पारेषण क्षमता के आवंटन' शब्द से तात्पर्य, तद्नुसार लगाया जायेगा;

हिताधिकारी को आवंटित पारेषण क्षमता, राज्यीय/केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों द्वारा हिताधिकारी को आवंटित उत्पादन क्षमताओं तथा संविदाकृत ऊर्जा, यदि कोई है, का योग होगी;

(4) 'प्राधिकरण' से तात्पर्य है, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण;

(5) 'उपलब्धता' का दी गई अवधि के लिए पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध से तात्पर्य है, घंटों में वह समय जब समय जिसके दौरान उस अवधि में पारेषण प्रणाली अपने निर्धारित विभव से विद्युत पारेषण करने में सक्षम हो तथा यह दिये गये समय के कुल घंटों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जायेगी तथा इस विनियमावली के परिशिष्ट–II में दी गयी प्रक्रिया अनुसार आगणित की जायेगी;

(6) 'हिताधिकारी' से तात्पर्य है, वह व्यक्ति, जिसने पारेषण प्रभार का भुगतान कर पारेषण प्रणाली का उपयोग किया है;

(7) 'आयोग' से तात्पर्य है, उत्तराचंल विद्युत नियामक आयोग;

(8) 'कोर व्यवसाय' से तात्पर्य है, विद्युत पारेषण की विनियमित गतिविधियाँ तथा इसमें पारेषण अनुज्ञापी के अन्य व्यवसाय या गतिविधियाँ जैसे परामर्श, दूरसंचार आदि सम्मिलित नहीं हैं;

(9) 'संविदाकृत ऊर्जा' से तात्पर्य है, मेगावाट में वह ऊर्जा, जो कि पारेषण अनुज्ञापी ने ले जाना स्वीकार किया है अथवा जिसे पारेषण अनुज्ञापी द्वारा आयात एवं निर्यात युटिलिटी के मध्य आवंटन/समझौते के अनुसार ले जाना अपेक्षित है;

(10) 'कट ऑफ तिथि' से तात्पर्य है, पारेषण प्रणाली के वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि से एक वर्ष पश्चात्;

(11) 'वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि' अथवा "COD" से तात्पर्य है, पारेषण प्रणाली को अपने निर्धारित विभव स्तर पर प्रभारी होने की तिथि अथवा उस तिथि से सात दिन पश्चात् जब पारेषण अनुज्ञापी द्वारा प्रभार्य हेतु तैयार घोषित कर दिया गया हो, किन्तु वह पारेषण अनुज्ञापी, उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार पर आरोपणीय न होने वाले कारणों से प्रभारित करने में सक्षम न हो :

बशर्ते कि, वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि, जब तक कि सभी पक्षों को स्वीकार न हो, कार्यान्वयन स्वीकृति या पारेषण सेवा करार या कार्यान्वयन करार में उल्लिखित वाणिज्यिक कार्यान्वयन की अनुसूचित तिथि, जैसी की स्थिति हो, से पहले की तिथि नहीं होगी;

(12) 'वर्तमान परियोजना' से तात्पर्य है, 01.04.2004 से पहले की तिथि पर वाणिज्यिक कार्यान्वयन के अन्तर्गत घोषित परियोजना;

(13) 'कार्यान्वयन करार' से तात्पर्य है, करार, संविदा या आपसी समझ का ज्ञापन या ऐसी कोई संस्तुति, जो पारेषण अनुज्ञापियों एवं हिताधिकारियों के मध्य परियोजना में निर्माण हेतु हुई हो;

(14) 'संचालन व अनुरक्षण व्यय या ओ0 एण्ड एम0' से तात्पर्य है, पारेषण प्रणाली के या उसके किसी भाग, कर्मचारियों, मरम्मत, पुर्जे, उपभोज्य, बीमा तथा अन्य वस्तुओं सहित, प्रचालन व अनुरक्षण पर हुआ व्यय;

(15) 'मूल परियोजना लागत' से तात्पर्य है, दर निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् पहले वित्त वर्ष की समाप्ति तक परियोजना की मूल परिधि के अनुसार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किया गया वास्तविक व्यय;

(16) 'परियोजना' में पारेषण प्रणाली सम्मिलित है जिसमें विशिष्ट पारेषण लाइनें, उप स्टेशन तथा सहायक उपकरणों का समावेश है;

(17) 'निर्धारित विभव' से तात्पर्य है, उत्पादक का डिजायन विभव, जिस पर पारेषण प्रणाली कार्यान्वित होने के लिए डिजायन की गयी है अथवा ऐसी निम्न विभव जिस पर हिताधिकारी से परामर्श कर फिलहाल लाइन, प्रभारित की गयी हो;

(18) 'पारेषण सेवा करार' से तात्पर्य है, करार, संविदा, आपसी समझ का ज्ञापन या ऐसी कोई संस्तुति, जो परियोजना के कार्यान्वियन चरण हेतु पारेषण सेवा में हिताधिकारी तथा पारेषण अनुज्ञापी के मध्य हुई हो;

(19) 'पारेषण अनुज्ञापी' से तात्पर्य है, उत्तरांचल राज्य में विद्युत के पारेषण हेतु जिसे अनुज्ञापन प्रदान किया गया हो, ऐसा व्यक्ति तथा कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है, जिसे विद्युत पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञापी माना गया हो;

(20) 'पारेषण प्रणाली' से तात्पर्य है, सहबद्ध उपकेन्द्रों के साथ एक लाइन या सहबद्ध उपकेन्द्रों समेत अन्तःसम्बन्धित लाइनों का एक समूह तथा इन शब्दों में उपकेन्द्रों तथा पारेषण लाइनों से सहबद्ध उपकरण सम्मिलित हैं;

(21) 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, उत्तरांचल सरकार;

(22) 'वर्ष' से तात्पर्य है, वित्तीय वर्ष;

(23) इन विनियमों में प्रयोग किये गये शब्द तथा भाव, जो यहाँ निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं, किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किये गये हैं, का वही अर्थ होगा, जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित किया गया है।

अध्याय 2–पारेषण दर के निर्धारण हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

4. अनुमानित राजस्व एवं सेवा लागत तथा दर निर्धारण हेतु आवेदन का दाखिल करना :

(1) पारेषण अनुज्ञापी, पूर्ण लाइनों या पारेषण प्रणाली के उपकेन्द्रों के सन्दर्भ में दर निर्धारण हेतु ऐसे रूप विधान में तथा ऐसी सूचना के साथ जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, आवेदन कर सकता है।

(2) 01.04.2004 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक कार्यान्वयन के अन्तर्गत घोषित पारेषण प्रणाली के विषय में दर निर्धारण हेतु आवेदन दो चरणों में किया जायेगा, अर्थात;

(a) पारेषण अनुज्ञापी, आवेदन करने की तिथि या इससे पहले की तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय, जो विधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् संपरीक्षित व प्रमाणित हो, के आधार पर परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि से अग्रिम में ही अंतरिम दर निर्धारण हेतु आवेदन कर सकता है। ये अंतरिम दर पारेषण प्रणाली के अपने–अपने उपकेन्द्रों या सम्बंधित लाईन के वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि से प्रभार्य होगी।

(b) पारेषण अनुज्ञापी जो विधिक लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित व वार्षिक संपरीक्षित लेखा के आधार पर पारेषण प्रणाली में वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि तक हुए वास्तविक पूंजीगत व्यय के आधार पर दर निर्धारण हेतु नया आवेदन करेगा।

(3) दर निर्धारण हेतु आवेदन के साथ, पारेषण अनुज्ञापी जितने वर्षों के लिये दर निश्चित करवाना चाहता है, किन्तु 5 वर्षों से अधिक नहीं, के लिये विधिवत् विधिमान्य परियोजित वार्षिक आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

5. दर निर्धारण :

(1) पारेषण प्रणाली हेतु दर निर्धारण, लाइन वार, उपकेन्द्रों वार तथा प्रणाली वार, जैसी स्थिति हो, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा तथा राज्य दर में समाहारित किया जायेगा।

(2) दर के उद्देश्य से परियोजना की पूंजी लागत चरणों में तथा पृथक इकाईयों से जो कि परियोजना का हिस्सा है, में विभक्त होगी। जहाँ परियोजना लागत की विभक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रगतिशील परियोजना के विषय में लाइनों तथा उपकेन्द्रों की स्थापित क्षमता के आधार पर सामान्य सुविधाओं का प्रभाजन होगा।

6. कार्य संचालन के मान ऊपरी सीमा के मान होंगे :

शंका समाधान हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य संचालन के मान ऊपरी सीमा के मान हैं तथा परिवृद्ध संचालन मानों हेतु ये आयोग को शर्त रखने या वितरण अनुज्ञापी तथा हिताधिकारियों की सहमति पर, बाधित नहीं होंगे तथा ऐसी स्थिति में परिवृद्ध मान दर निर्धारण हेतु लागू होंगे।

7. आय पर कर :

(1) पारेषण अनुज्ञापी की कोर व्यवसाय से आय के स्रोतों पर कर की गणना एक व्यय के रूप में होगी तथा हिताधिकारियों से वसूल की जायेगी।

(2) आय पर कर की कम या अधिक वसूली को, जो कि विधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित हो, आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आयकर मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष समायोजित किया जायेगा :

बशर्ते कि कोर व्यवसाय से भिन्न किसी आय के स्रोत पर कर को दर में संघटक के माध्यम से नियम किया जाएगा तथा ऐसी अन्य आय पर कर का भुगतान पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा। साथ ही यह भी कि कर से पूर्व लाभ जैसा कि वर्ष में लिये अग्रिम आकलित किया गया हो, सभी हिताधिकारियों के बीच निगमित कर दायित्वों के वितरण का आधार होगा :

साथ ही यह भी कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार यथा लागू कर मुक्ति के लाभ हिताधिकारियों को दिये जायेंगे :

साथ ही यह भी कि किसी अन्य साम्यिक आधार के अभाव में अनवशोषित अवक्षयण तथा अग्रेनीत हानियों का श्रेय इस विनियम के दूसरे उपबन्ध के अनुसार दिये गये अनुपात के आधार पर दिया जायेगा :

साथ ही यह भी कि आयकर, वार्षिक क्षमता प्रभार के ही अनुपात में हिताधिकारियों पर प्रभावी होगा।

8. राज्य सरकार द्वारा लगाये गये उपकर/शुल्क/स्वामित्व शुल्क/कर :

राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोई उपकर, शुल्क या स्वामित्व शुल्क या कर हिताधिकारियों को उनकी आवंटित क्षमता या परिदत्त ऊर्जा की मात्रा, जैसी की स्थिति, के अनुपात में संक्रांत होगा।

9. निलंबलेख यंत्रावली :

(1) हिताधिकारियों द्वारा, अनुसूचित बैंक में उपकर, स्वामित्व शुल्क या अन्य कोई कर के लिए जो कि संक्रांत किया जा सके, ऐसे अलग-अलग ब्याज धारक खाते रखे जायेंगे। प्रत्येक खाते में अर्जित ब्याज उस खाते में जमा कर दिया जायेगा।

(2) प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ से दो माह पूर्व कर दायित्व का आकलन कर हिताधिकारियों को सूचित किया जायेगा। उपकर, स्वामित्व शुल्क या शुल्क इत्यादि की सूचना पारेषण प्रभार में मासिक बिल के साथ दी जायेगी। साथ ही, अग्रिम आयकर भुगतान के दायित्वों का आकलन ऐसे कर की अदायगी की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व किया जायेगा तथा हिताधिकारी को भुगतान की अन्तिम तिथि के साथ सूचित किया जायेगा। पारेषण अनुज्ञापी, हिताधिकारी से वसूलनीय कर, उपकर शुल्क, स्वामित्व शुल्क इत्यादि की देयता को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा।

(3) हिताधिकारी पारेषण प्रभार के मासिक बिल के भुगतान की अन्तिम तिथि तक उपकर, स्वामित्व शुल्क/शुल्क, जैसी की स्थिति हो, का भुगतान निलंबलेख खाते में करेगा। आयकर भुगतान हेतु पारेषण अनुज्ञापी द्वारा सूचित अग्रिम आयकर के भुगतान की अन्तिम तिथि से 15 दिन पहले आयकर निलंबलेख में भुगतान किया जायेगा। भुगतान में विलंब के कारण दंडस्वरूप संबन्धित प्राधिकरण को किये जाने वाले भुगतान की स्थिति में इसे देरी हेतु उत्तरदायी, सम्बन्धित पक्षों द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) विधिक लेखा परीक्षक के ऐसे प्रमाण-पत्र पर कि सम्बन्धित प्राधिकरण को तुरन्त ऐसी राशि देय है, निलंब-लेखधारी को प्रस्तुति पर पारेषण अनुज्ञापी कर में निपटान हेतु ऐसी राशि आहरित करने के लिए अधिकृत होगा।

(5) पारेषण अनुज्ञापी सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त कोई प्रतिदाय कर/उपकर, शुल्क/स्वामित्व शुल्क निलंबलेख में जमा करेगा।

(6) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, हिताधिकारियों को नहीं लौटाया जायेगा तथा इसे निलंबलेख खाते में समायोजित किया जायेगा। कोई शेष देय या प्रतिदाय अगले वर्ष में शामिल की जायेगी।

(7) हिताधिकारियों की पुस्तकों में निलंबलेख खाते उनके अपने बैंक खाते की तरह दर्शाये जायेंगे।

10. अतिरिक्त रुपया दायित्व :

ऋण पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान पर अतिरिक्त रुपया दायित्व की अनुमति उसी वर्ष में होगी, बशर्ते कि यह सीधे विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण हुई हो तथा ये पारेषण अनुज्ञापी या इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकारों के कारण न हो। प्रत्येक पारेषण अनुज्ञापी विदेशी मुद्रा कर परिवर्तन को आय या व्यय की तरह, प्रतिवर्ष के आधार पर जिस अवधि में वह उत्पन्न हो, वसूल करेगी और ये प्रति वर्ष आधार पर समायोजित होंगे।

11. आयकर/उपकर/स्वामित्व शुल्क/शुल्क इत्यादि तथा विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की वसूली :

आयकर/उपकर/स्वामित्व शुल्क/शुल्क इत्यादि तथा विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन की वसूली पारेषण अनुज्ञापी द्वारा आयोग के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किये बिना, हिताधिकारियों से की जायेगी :

बशर्ते कि आयकर/उपकर/स्वामित्व शुल्क/शुल्क इत्यादि तथा विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन राशि के दावे पर हिताधिकारियों द्वारा की गई आपत्ति की स्थिति में पारेषण अनुज्ञापी आयोग के समक्ष उसके निर्णय हेतु उपयुक्त आवेदन कर सकता है।

अध्याय 3–कार्य संचालन के मान

12. उप केन्द्रों में सहायक ऊर्जा उपभोग :

पारेषण अनुज्ञापी तथा हिताधिकारियों के मध्य अग्रिम रूप से सहमत सीमा तक, उपकेन्द्रों में एअर कन्डीशनिंग, लाईटिंग व तकनीकी उपभोग के उद्देश्य से सहायक ऊर्जा उपभोग हेतु प्रभार हिताधिकारियों द्वारा वहन किया जायेगा। इस सीमा से आगे के सहायक उपभोग के कोई प्रभार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा वहन किये जायेंगे तथा संक्रांत हेतु अनुज्ञेय नहीं होंगे।

13. पूर्ण पारेषण प्रभार की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धतॉ :

(1)	AC प्रणाली	98%
(2)	HVDC बाय पोल लिंक्स तथा HVDC बैक टु बैक केन्द्र	95%

टिप्पणियां–

(a) लक्ष्य उपलब्धता से नीचे के स्तर पर स्थिर प्रभारों की वसूली अनुपारितक आधार पर की जायेगी। शून्य उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार देय नहीं होगा।

(b) लक्ष्य उपलब्धता की भी गणना परिशिष्ट II में निर्दिष्ट प्रक्रिया के आधार पर की जायेगी।

14. पूंजी लागत :

(1) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूर्व स्वीकृति से मुक्त व्ययों सहित, केवल वे ही पूंजी व्यय, जो आयोग की स्वीकृति से हुए हों या होने प्रस्तावित हों, दर के उद्देश्य से विचारणीय होंगे।

(2) अन्तिम दर, पारेषण प्रणाली के स्वीकृत पूंजी व्यय के आधार पर निश्चित की जायेगी तथा इसमें कारखाने तथा उपकरण की लागत का 1.5 प्रतिशत की मानक सीमा की शर्त के साथ पूंजीगत प्रारम्भिक कल–पुर्जे शामिल होंगे :

बशर्ते कि जहां पारेषण अनुज्ञापी एवं हिताधिकारियों के मध्य हुए कार्यान्वय करार या पारेषण सेवा करार में वास्तविक व्यय की सीमा का प्रावधान है, दर निर्धारण हेतु पूंजी व्यय उस सीमा से अधिक नहीं होंगे।

टिप्पणी : दर निर्धारण के उद्देश्य हेतु आयोग द्वारा परियोजना लागत आकलन की संवीक्षा, पूंजी लागत की उपयुक्तता, वित्त पोषण योजना, निर्माण की अवधि में ब्याज, कुशल तकनीक का प्रयोग तथा ऐसे अन्य विषयों तक सीमित रहेगी।

15. अतिरिक्त पूंजीकरण :

(1) प्रज्ञा जांच की शर्त पर, वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि के पश्चात् कट ऑफ तिथि तक, कार्य की मूल परिधि में वास्तव में हुए पूंजीगत व्यय आयोग द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं :—

(a) आस्थगित देय;

(b) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य;

(c) मूल परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा मान की शर्त के साथ कार्य की मूल परिधि में प्रारम्भिक पूंजीगत कल पुर्जों की अधिप्राप्ति;

(d) न्यायालन की डिक्री या आदेश के अनुपालन या पंचाट के निर्णय की पूर्ति हेतु दायित्व; तथा

(e) विधि में परिवर्तन पर :

परन्तु यह कि कार्य की मूल परिधि एवं व्यय में आकलन अंतरिम दर हेतु आवेदन के साथ जमा किये जायेंगे :

परन्तु यह और कि आस्थगित दायित्वों तथा निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों की सूची, पारेषण प्रणाली में वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि के पश्चात् अन्तिम दर के लिये आवेदन के साथ जमा की जायेगी।

(2) इस विनियम के उप विनियम (3) के उपबन्ध की शर्त पर, कट ऑफ तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए, निम्नलिखित स्वभाव के पूंजीगत व्यय, प्रज्ञा जांच की शर्त पर, आयोग द्वारा स्वीकार किये जा सकते हैं :—

(i) कार्य की मूल परिधि में कार्य/सेवाओं से सम्बन्धित आस्थगित दायित्व;

(ii) न्यायालय की डिक्री या आदेश के अनुपालन या पंचाट के निर्णय की पूर्ति हेतु दायित्व;

(iii) विधि में परिवर्तन पर; तथा

(iv) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवा, जो संयंत्र के कुशल संचालन हेतु आवश्यक हो गये हों, किन्तु मूल परियोजना लागत में सम्मिलित न हों।

(3) कट ऑफ तिथि के पश्चात् लाये गये औजार एवं उपकरण, पर्सनल कम्प्यूटर, फर्नीचर, एयर कन्डीशनर, वोल्टेज स्टेबलाईजर, रेफ्रिजजेटर, कूलर, पंखे, टी0वी0, वाशिंग मशीन, हाट कन्वेक्टर्स, गद्दे व गलीचे इत्यादि, जैसी छोटी—मोटी वस्तुओं/परिसम्पत्तियों, पर किये गये व्यय पर 01.04.2004 से दर निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी—यह सूची केवल दृष्टांत स्वरूप है, किन्तु सुविस्तृत नहीं है।

(4) दर पुनरीक्षण पर अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव पर दर अवधि में दो बार, कट ऑफ तिथि के पश्चात् दर पुनरीक्षण सहित, आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है।

(5) ऋण इक्विटी अनुपात—

(a) सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में, दर निर्धारण हेतु, वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि पर ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 होगा। जहां नियोजित इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ शुल्क निर्धारण हेतु इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष राशि को मानक ऋण समझा जायेगा :

परन्तु यह, ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जहाँ कि वास्तव में नियोजित इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत से कम है, वहाँ वास्तविक ऋण व इक्विटी दर निर्धारण हेतु विचारणीय होंगे।

(b) प्रावधान (a) के अनुसार निकाली गयी ऋण व इक्विटी राशि, ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर प्रत्यागम, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की गणना के लिये उपयोग की जायेगी।

टिप्पणी—1 : कार्य की मूल परिधि के अन्तर्गत वचनबद्ध दायित्वों के कारण स्वीकार किये गये किसी व्यय तथा प्रौद्योगिक व आर्थिक आधार पर आस्थगित किन्तु कार्य की मूल परिधि में आने वाले व्यय की ऊपर निर्दिष्ट रीति द्वारा मानक ऋण इक्विटी अनुपात में सेवा की जायेगी।

टिप्पणी–2 : पुरानी सम्पत्तियों के बदलाव पर किसी व्यय पर मूल पूंजी लागत में से मूल परिसम्पत्तियों की कुल कीमत अपलिखित करने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

टिप्पणी–3 : कार्य की मूल परिधि में असम्मिलित नये कार्य के कारण, आयोग द्वारा दर निर्धारण हेतु स्वीकार किये गये किसी व्यय की सेवा ऊपर निर्दिष्ट मानक ऋण इक्विटी अनुपात के अनुसार होगी।

टिप्पणी–4 : दर निर्धारण हेतु आयोग द्वारा स्वीकार किये गये, जीवन वृद्धि, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण पर किये गये किसी व्यय की, मूल पूंजी लागत में बदली गयी परिसम्पत्ति की मूल राशि अपलिखित करने के पश्चात् ऊपर निर्दिष्ट मानक ऋण इक्विटी अनुपात में सेवा की जायेगी।

अध्याय 4–पारेषण प्रभारों की संगणना

पारेषण प्रभार :

(1) राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली पर विद्युत के पारेषण हेतु दर में वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) की वसूली सम्मिलित होगी, जिसमें ये शामिल होंगे:

(a) ऋण पूंजी पर ब्याज;

(b) अवक्षयण जिसमें अवक्षयण के प्रति अग्रिम भी है;

(c) इक्विटी पर प्रत्यागम;

(d) संचालन व अनुरक्षण व्यय;

(e) कार्य चालन पूंजी पर ब्याज।

(2) आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों द्वारा आय के अतिरिक्त अन्य आय जिसमें पारेषण अनुज्ञापी की परिसम्पत्तियों का उपयोग सम्मिलित हो, की आयोग द्वारा दर निर्धारण करते समय उपयुक्त तरीके से गणना की जायेगी।

17. ऋण पूंजी पर ब्याज :

(1) ऋण पूंजी पर ब्याज ऋण वार, विनियम 15(5) में निर्दिष्ट रीति से आंकलित ऋणों सहित, संगठित किया जायेगा।

(2) 01.04.2004 पर अवशेष ऋण उपर्युक्त उपविनियम (1) के अनुसार कुल ऋण में से 31.03.2004 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर निकाला जायेगा। भविष्य के लिये पुनर्भुगतान मानक आधार पर निकाला जायेगा।

(3) पारेषण अनुज्ञापी ऋण की अदला–बदली के लिए तब तक सभी प्रयत्न करेगा, जब तक कि इसमें परिणामस्वरूप हिताधिकारियों को लाभ होता हो, इस प्रकार की अदला–बदली की सभी लागतों का भार हिताधिकारियों द्वारा उठाया जायेगा।

(4) ऋण के नियम एवं शर्तों में परिवर्तन उस तिथि से प्रदर्शित होंगे, जिस तिथि से यह अदला–बदली हो व लाभ हिताधिकारियों को प्राप्त होंगे।

(5) किसी विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकता है। किन्तु ऋण की अदला–बदली से सम्बन्धित किसी विवाद के लम्बित होने की अवधि में आयोग के आदेशानुसार पारेषण अनुज्ञापी को कोई भुगतान हिताधिकारी नहीं रोकेगा।

(6) पारेषण अनुज्ञापी द्वारा अधिस्थगम की अवधि के उपयोग की स्थिति में अधिस्थगन के वर्षों की अवधि के दौरान दर हेतु प्रदत्त अवक्षयण उन वर्षों की अवधि का पुनर्भुगतान माना जायेगा तथा ऋण पर ब्याज तदनुसार संगठित किया जायेगा।

(7) पारेषण अनुज्ञापी ऋण की अदला-बदली तथा ऋण पर ब्याज के कारण कोई लाभ अर्जित नहीं करेगा।

18. अवक्षयण :

(1) दर के उद्देश्य से अवक्षयण की संगणना निम्न रीति से होगी, अर्थात;

(a) पूंजी आर्थिक सहायता/अनुदान को छोड़कर अवक्षयण के उद्देश्य से मूल आधार पूँजीगत परिसम्पत्तियों की इतिवृत्त लागत होगी।

(b) अवक्षयण की संगणना परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन काल पर सरल रेखा प्रणाली के आधार पर प्रति वर्ष होगी तथा यह इन विनियमों के परिशिष्ट-I में विहित निर्धारित दर पर होगी।

परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट जीवन दस प्रतिशत माना जायेगा तथा परिसम्पत्तियों की इतिवृत्त पूंजी लागत के 90 प्रतिशत तक अधिकतम अवक्षयण अनुज्ञेय होगा। भूमि एक अवक्षयी परिसम्पत्ति नहीं है तथा इसकी लागत, परिसम्पत्ति की इतिवृत्त लागत के 90 प्रतिशत की गणना करते समय पूंजी लागत से अपवर्जित होगी। राज्य दर केन्द्र सरकार/आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित 31.03.2004 तक विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण, परिसम्पत्ति की इतिवृत्त पूंजीगत लागत में सम्मिलित होगा।

(c) कामकाज के पहले वर्ष से अवक्षयण प्रभारी होगा। परिसम्पत्ति के वर्ष में किसी भाग में संचालित होने पर अवक्षयण अनुपाततः आधार पर प्रभावी होगा।

19. अवक्षयण के प्रति अग्रिम (AAD) :

(1) अनुज्ञेय अवक्षयण के अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञापी अवक्षयण के प्रति अग्रिम के लिये पात्र होगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जायेगी।

AAD = विनियम 17 के अनुसार पुनर्भुगतान राशि, विनियम 15(5) के अनुसार ऋण राशि के 1/10वें की सीमा की शर्त के साथ, में से अनुसूची अनुसार अवक्षयण का व्यवकलन :

परन्तु यह कि अवक्षयण के प्रति अग्रिम की अनुमति तभी होगी, जब किसी विशिष्ट वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण से अधिक हो :

परन्तु यह और कि एक वर्ष में अवक्षयण के प्रति अग्रिम, उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण तथा संचयी पुनर्भुगतान के मध्य के अन्तर तक सीमित होगा।

(2) संपूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान पर शेष अवक्षयी मूल्य को परिसम्पत्ति के शेष उपयोगी जीवन में वितरित कर दिया जायेगा।

20. इक्विटी पर प्रत्यागम :

इक्विटी पर प्रत्यागम की गणना विनियम 15(5) के अनुसार निर्धारित इक्विटी आधार पर होगी तथा यह 14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी :

परन्तु यह कि किसी विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी पर उसी मुद्रा में निर्धारित सीमा तक इक्विटी पर प्रत्यागम की अनुमति होगी तथा यह भुगतान बिलिंग की देय तिथि पर विद्यमान विदेशी मुद्रा दर पर आधारित भारतीय रुपयों में होगा।

स्पष्टीकरण : पारेषण अनुज्ञापी द्वारा शेयर पूंजी जारी करते समय जुटाया गया प्रीमियम तथा परियोजना की निधि के लिए मुक्त कोष से रचित आन्तरिक स्रोतों से निवेश, यदि कोई हो, भी इक्विटी पर प्रत्यागम के उद्देश्य से समादत्त पूंजी माने जायेंगे। परन्तु ऐसी प्रीमियम राशि तथा आन्तरिक स्रोतों का उपयोग वास्तव में पारेषण प्रणाली में पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए किया गया हो तथा जो स्वीकृत वित्तीय पैकेज का अंश हो।

21. संचालन तथा अनुरक्षण व्यय :

(1) पाँच वर्ष से अधिक आयु की परियोजनाओं के लिए :

(a) वर्तमान परियोजनाओं के लिए, जो आधार वर्ष 2003–04 पर 5 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यान्वित हैं, बीमा सहित संचालन व अनुरक्षण व्यय 1998–99 से 2002–03 तक वास्तविक संचालन व अनुरक्षण व्यय, के आधार पर निकाले जायेंगे, जो कि आयोग कि प्रज्ञा जाँच के पश्चात् असामान्य संचालन व अनुरक्षण, यदि कोई है, को छोड़ कर लेखा परीक्षित तुलन पत्र पर आधारित होंगे।

(b) प्रज्ञा जाँच के पश्चात् वर्ष 1998–99 से 2002–03 के ऐसे सामान्यीकृत संचालन व अनुरक्षण व्यय का औसत, वर्ष 2000–01 के लिये संचालन व अनुरक्षण व्यय समझा जायेगा तथा 2003–04 के आधार वर्ष का व्यय निकालने के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया जायेगा।

(c) वर्ष 2003–04 के लिये आधार संचालन व अनुरक्षण व्यय, दर अवधि के सुसंगत वर्ष के लिए अनुमतियोग्य संचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक दर से और आगे बढ़ाया जायेगा।

(2) 5 वर्ष से कम आयु की परियोजनाओं के लिए :

(a) उन परियोजनाओं के विषय में, जो कि पाँच वर्ष तक की अवधि से अस्तित्व में नही है, संचालन व अनुरक्षण व्यय, आयोग द्वारा स्वीकार्य पूंजी लागत के 1.5 प्रतिशत पर तय होगा तथा आधार वर्ष 2003–04 के लिए संचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए इसमें अगले वर्षों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जायेगी। सुसंगत वर्ष के अनुमतियोग्य संचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए आधार संचालन व अनुरक्षण व्यय को 4 प्रतिशत दर से और आगे बढ़ाया जायेगा।

(b) 01.04.2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक कार्यान्वयन के अधीन घोषित परियोजनाओं के सम्बन्ध में आधार संचालन व अनुरक्षण व्यय स्थापना के वर्ष में पूंजी लागत, जो आयोग द्वारा स्वीकृत है, के 1.5 प्रतिशत पर तय होंगे तथा आगे के वर्षों में 4 प्रतिशत वार्षिक दर से वार्षिक बढ़ोत्तरी पर प्रभावित होंगे।

22. कार्य संचालन पूंजी पर ब्याज :

(1) कार्य चालन पूंजी में समाविष्ट होंगे;

(a) एक माह के लिए संचालन व अनुरक्षण व्यय;

(b) अनुरक्षण कलपुर्जे, इतिवृत्त लागत के 1 प्रतिशत की दर से, जिसमें वाणिज्यिक कार्यान्वयन की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जाये (UPPCL से PTCUL की पारेषण प्रणाली के हंतातरित विषय में इतिवृत्त लागत उ0प्र0रा0वि0बो0 के पुनर्गठन की तिथि की लागत होगी। जिसमें इसके बाद 6 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जायेगी), तथा,

(c) लक्ष्य उपलब्धता स्तर पर पारेषण प्रभार के 2 माह के बराबर होने वाली प्राप्तियाँ।

(2) कार्य संचालन पूंजी पर ब्याज की दर मानक आधार पर होगी। परियोजनाओं या उसके किसी भाग, जैसी स्थिति हो, के वाणिज्यिक कार्यान्वयन के अन्तर्गत घोषित होने के वर्ष की 1 अप्रैल या 01.04.2004 दोनों में से जो बाद में हो, उस तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की लघु कालीन प्राध्य उधार देने की दर होगी। पारेषण अनुज्ञापी के किसी बाहरी अभिकरण से कार्य चालन पूंजी ऋण न लेने पर भी कार्य चालन पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा।

23. पारेषण प्रभारों का भुगतान :

पूर्ण वार्षिक पारेषण प्रभार विनियम 13 में बनाये गये लक्ष्य उपलब्धता पर वसूलीय होंगे। पारेषण उपलब्धता से नीचे के पारेषण प्रभार का भुगतान अनुपाततः होगा। पारेषण प्रभार मासिक आधार पर परिकलित होगा।

24. पारेषण प्रभारों में हिस्सा बांटना :

पारेषण प्रणाली के एक से अधिक हिताधिकारियों होने पर प्रत्येक हिताधिकारी पर मासिक पारेषण प्रभारों का संगठन निम्न सूत्र द्वारा किया जायेगा।

पारेषण प्रणाली के हिताधिकारी द्वारा एक माह में देय उस पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रभार

$$=\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{TC_i}{12}\right]\times\frac{CL}{SCL}$$

जहाँ TC_i= विनियम 16 के अनुसार संगणित राज्य में iवें संयंत्र हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार।

n = राज्य में परियोजनाओं की संख्या।

CL = हिताधिकारी को आवंटित पारेषण क्षमता।

SCL = राज्य की पारेषण प्रणाली के सभी हिताधिकारियों को आवंटित पारेषण क्षमता का योग।

25. प्रोत्साहन :

(1) विनियम 13 के अनुसार लक्ष्य उपलब्धता से अधिक वार्षिक उपलब्धता प्राप्त करने पर पारेषण अनुज्ञापी प्रोत्साहन का हकदार होगा, जो निम्न सिद्धान्त के अनुसार होगा :

प्रोत्साहन = वार्षिक पारेषण प्रभार x [प्राप्त वार्षिक उपलब्धता– लक्ष्य उपलब्धता]/लक्ष्य उपलब्धता

परन्तु यह कि HVDC प्रणाली हेतु 98.50% तथा AC प्रणाली हेतु 99.75% की उपलब्धता से ऊपर प्रोत्साहन देय नहीं होगा।

(2) हिताधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन में, वर्ष हेतु आवंटित औसत पारेषण क्षमता के अनुपात में, हिस्सेदारी की जायेगी।

अध्याय 5—प्रकीर्ण

26. व्यावृत्तियां :

जिन के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं, ऐसे मामलों में कार्यवाही करने पर या अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का निर्वाह करने में इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

27. कठिनाईयाँ दूर करने करने की शक्तियाँ :

यदि इस विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग द्वारा स्वंय प्रस्ताव से या अन्यथा, अपने आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतय' `ावित होने वालों को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् कठिनाईयाँ दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे प्रावधानों का निर्माण कर सकता है। जो इन विनियमों से असंगत न हो।

28. शिथिलिकरण की शक्ति :

आयोग स्वयं प्रस्ताव से या किसी इच्छुक व्यक्ति के आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का शिथिलीकरण या परिवर्तन, कारणों का अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

परिशिष्ट–I

अवक्षयण अनुसूची

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
A. पूर्ण स्वामित्व में भूमि	अपरिमित	–––	
B. पट्टे पर ली गयी भूमि :			
(a) भूमि में निवेश हेतु	पट्टे की अवधि या पट्टे के आबंटन पर समाप्त न हुई शेष अवधि	–––	
(b) स्थल के निर्वाधन लागत हेतु	स्थल के निर्वाधन की तिथि पर पट्टे की शेष बची हुई अवधि	–––	
C. सम्पत्ति :			
खरीदी गई नई सम्पत्ति :			
(a) संयत्र नींव सहित उत्पादन केन्द्रों पर यंत्र एवं संयंत्र–			
(i) जल विद्युत	35	2.57	90
(ii) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स / संयंत्र	25	3.60	90
(iii) डीज़ल–विद्युत और गैस संयंत्र	15	6.00	90
(b) कूलिंग टावर एवं चक्करदार जल प्रणाली	25	3.60	90
(c) जल–विद्युत प्रणाली के भाग के रूप में जलीय कार्य जिसमें सम्मिलित हैं–			
(i) बांध, स्पिलवे वियर, नहरें–पुनः पक्के, फ्लूमेल तथा साइफन	50	1.80	90
(ii) पुनः पक्की की गई पाइप लाईन, सर्ज टैंक, हायड्रॉलिक नियंत्रण वाल्व तथा अन्य हायड्रॉलिक कार्य	35	2.57	90
(d) स्थाई प्रकृति के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है–			
(i) कार्यालय व शो रूम	50	1.80	90
(ii) अन्तर्विष्ट तापीय–विद्युत उत्पादन संयंत्र	25	3.60	90
(iii) अन्तर्विष्ट जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र	35	2.57	90
(iv) लकड़ी से बनी अस्थाई खड़ी संरचना	5	18.00	90
(v) कच्ची के अतिरिक्त अन्य सड़कें	50	1.80	90
(vi) अन्य	50	1.80	90

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
(e) परिवर्तक, परिवर्तक (कियोस्क) उप–केन्द्र उपकरण एवं अन्य लगे उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)–			
(i) परिवर्तक (नींव सहित) 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	25	3.60	90
(ii) अन्य	25	3.60	90
(f) स्विच–गियर केबल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
(g) लाइटनिंग अरेस्टर–			
(i) स्टेशन टाईप	25	3.60	90
(ii) पोल टाईप	15	6.00	90
(iii) सिंक्रोनस कन्डैन्सर	35	2.57	90
(h) बैटरी–	5	18.00	90
(i) ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	35	2.57	90
(ii) केबल डक्ट प्रणाली	50	1.80	90
(i) सपोर्ट्स सहित ओवर हैड लाइन–			
(i) 55 के0वी0 से अधिक के नॉमिनल विभव पर फेब्रीकेटेड स्टील प्रचालन पर लाईनें	35	2.57	90
(ii) 13.2 कि0वो0 से अधिक, लेकिन 66 कि0वो0 से अधिक नहीं, नॉमिनल विभव पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	25	3.60	90
(iii) स्टील या री–इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	25	3.60	90
(iv) शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइन	25	3.60	90
(j) मीटर	15	6.00	90
(k) सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	5	18.00	90
(l) वातानुकूलन संयंत्र–			
(i) स्टेटिक	15	6.00	90
(ii) पोर्टेबल	5	18.00	90
(m)			
(i) कार्यालय का फर्नीचर एवं फिटिंग	15	6.00	90
(ii) कार्यालय के उपकरण	15	6.00	90
(iii) फिटिंग एवं उपस्करों सहित आंतरिक वायरिंग	15	6.00	90
(iv) स्ट्रीट लाईट फिटिंग	15	6.00	90

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
(n) किराये पर लिए गए उपस्कर–			
(i) मोटर के अलावा	5	18.00	90
(ii) मोटर	15	6.00	90
(o) संचार उपकरण–			
(i) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति कैरियर प्रणाली	15	6.00	90
(ii) टेलीफोन लाईन तथा टेलीफोन	15	6.00	90
(p) पुरानी खरीदी गई सम्पत्ति तथा अनुसूची में अन्यथा उपबंधित न की गई सम्पत्ति	ऐसी उपयुक्त अवधि जैसी कि स्वामी द्वारा ग्रहण करते समय परिसम्पत्ति की स्थिति, आयु एवं स्वभाव के आधार पर प्रत्येक स्थिति में सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।		

परिशिष्ट–II

पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की संगणना हेतु प्रक्रिया

(1) पारेषण अवयवों को पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की संगणना के उद्देश्य से निम्न श्रेणियों में समूहित किया जायेगा।

(a) ए. सी. (A.C.) ट्रांसमिशन लाइनें: एसी पारेषण का प्रत्येक परिपथ एव अवयव माना जायेगा।

(b) इन्टर–कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (I.C.T.): प्रत्येक ICTs बैंक (तीन एकल फेज परिवर्तक एक साथ) एक अवयव निर्मित करेंगे।

(c) स्टेटिक वी.ए.आर. कम्पनसेटर (S.V.C.): एसवी सी के साथ एस वी सी एक अवयव निर्मित करेंगे। तथापि 50% श्रेय इन्डक्टिव तथा 50% श्रेय कैपेसिटिव रेटिंग को दिया जायेगा।

(d) स्वीचड् बस रिएक्टर: प्रत्येक स्विचड बस रिएक्टर एक अवयव माना जायेगा।

(e) एच. वी. डी. सी. (HVDC) लाइनें: एच वी डी सी का प्रत्येक खंभा दोनों छोरों पर सहायक उपकरणों सहित एक अवयव माना जायेगा।

(f) एच वी डी सी (HVDC) बैक–टु–बैक स्टेशन: एच वी डी सी बैक–टु–बैक स्टेशन का प्रत्येक खण्ड एक अवयव माना जायेगा। यदि सहायक ए सी लाईन (एच वी डी सी बैक–टु–बैक स्टेशन के द्वारा अन्तः क्षेत्रीय ऊर्जा हेतु आवश्यक) उपलब्ध नहीं है तो एच वी डी सी बैक–टु–बैक स्टेशन खण्ड भी अनुपलब्धता माना जायेगा।

(2) क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली की उपलब्धता निम्न रीति से संगणित की जायेगी :

%AC(एसी)प्रणाली हेतु प्रणाली उपलब्धता $= \dfrac{o \times AVo + q \times AVq + r \times AVr + s \times AVs}{o + q + r + s} \times 100$

% HVDC प्रणाली हेतु प्रणाली उपलब्धता: $= \dfrac{p \times AVp + t \times AVt}{p + t} \times 100$

जब कि :

o	=	एसी लाइनों की कुल संख्या
AVo	=	एसी लाइनों की 0 संख्या की उपलब्धता
p	=	एच वी डी सी खंभों की कुल संख्या
AVp	=	HVDC खंभों की p संख्या की उपलब्धता
a	=	ICTs की कुल संख्या
AVq	=	ICTs की q संख्या की उपलब्धता
r	=	SVCs की कुल संख्या
AVr	=	SVCs की r की संख्या की उपलब्धता
s	=	स्विच्ड बस रिएक्टर की कुल संख्या
AVs	=	स्विच्ड बस रिएक्टर की s संख्या की उपलब्धता
t	=	HVDC बैक–टु–बैक स्टेशन खण्डों की कुल संख्या
AVt	=	HVDC बैक–टु–बैक स्टेशन खण्डों की t संख्या की उपलब्धता।

(3) ट्रांसमिशन तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारित कारक निम्न प्रकार से होगाः

(a) (AC) एसी लाइन के प्रत्येक परिपथ हेतु

(i) अनकम्पनसेटेड लाईन हेतु सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग (SIL) गुणित परिपथ कि०मी०

(ii) विभिन्न विभव स्तर तथा कान्फ्रेगरेशन कन्डक्टर हेतु SIL रेटिंग नीचे दी गई है, तथापि यहाँ उद्धृत न किये गये विभव स्तरों तथा/या कन्डक्टर फिगरेशन्स हेतु तकनीकि प्रतिफलों पर आधारित उपयुक्त एस आय एल का उपयोग, हिताधिकारी को सूचित करते हुए, उपलब्धता संगणना करते समय, किया जा सकता है।

एसी लाइन का सर्ज इम्पीडेन्स लोडिंग (SIL)

क्र०सं०	लाईन वोल्टेज (kV)	कन्डक्टर कान्फ्रेग्रेशन	SIL (MW)
1	765	Quad Bersimis	2250
2	400	Quad Bersimis	691
3	400	Twin Moose	515
4	400	Twin AAAC	425
5	400	Quad Zebra	647
6	400	Quad AAAC	646
7	400	Tripple Snowbird	605
8	400	ACKC (500/26)	556
9	400	Twin ACAR	557
10	220	Twin Zebra	175
11	220	Single Zebra	132
12	132	Single Panther	50
13	66	Single Dog	10

(b) प्रत्येक HVDC खंभे के लिये = रेटेड MW क्षमता X परिपथ किमी0

(c) प्रत्येक ICT बैक के लिये = रेटेड MVAR क्षमता

(d) SVC के लिए = रेटेड MVAR क्षमता (इन्डक्टिव एवं कैपेसिटेटिव)

(e) स्विच्ड बस रिएक्टर के लिये = रेटेड MVAR क्षमता

(f) HVDC बैक–टु–बैक स्टेशन के लिये = प्रत्येक खण्ड की रेटेड MW क्षमता

(4) पारेषण अवयवों की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की संगणना, भारित कारक, विचाराधीन कुल घण्टे तथा उस श्रेणी के प्रत्येक अवयव हेतु अनुपलब्ध घण्टों, पर आधारित होगी। पारेषण अवयव निम्न प्रकार से हैं।

AV0 (एसी लाइनों की 0 संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\sum_{i=1}^{o} \frac{Wi(Ti - T_{NA} i)}{Ti}}{\sum_{i=1}^{o} Wi}$

AVp (HVDC खंभों की p संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\sum_{j=1}^{p} \frac{Wj(Tj - T_{NA} j)}{Tj}}{\sum_{j=1}^{p} Wj}$

AVq (ICT की q संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\sum_{k=1}^{q} \frac{Wk(Tk - T_{NA} k)}{Tk}}{\sum_{k=1}^{q} Wk}$

AVr (SVCs की r की संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\left[\sum_{l=1}^{r} \frac{0.5 \times W_I l(T_I l - T_{NAI} l)}{T_I l} + \sum_{l=1}^{r} \frac{0.5 \times W_C l(T_C l - T_{NAC} l)}{T_C l} + \right]}{\left[\sum_{l=1}^{r} 0.5 \times W_I l + \sum_{l=1}^{r} 0.5 \times W_C l\right]}$

AVs (स्विच्ड बस रिएक्टर की s संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\sum_{m=1}^{s} \frac{Wm(Tm - T_{NA} m)}{Tm}}{\sum_{m=1}^{s} Wm}$

AVt (HVDC बैक–टु–बैक स्टेशन खण्डों की t संख्या की उपलब्धता) $= \dfrac{\sum_{n=1}^{t} \frac{Wn(Tn - T_{NA} n)}{Tn}}{\sum_{n=1}^{t} Wn}$

जबकि

Wi	=	i वीं पारेषण लाईन हेतु भारित कारक
Wj	=	j वीं HVDC खंभे हेतु भारित कारक
Wk	=	k वीं ICT हेतु भारित कारक
Wh व WC1	=	1 वीं SVC के इन्डक्टिव व कैपेसिटेटिव संचालन हेतु भारित कारक
Wm	=	m वीं बस रिएक्टर हेतु भारित कारक

Wn = n वीं HVDC बैक–टु–बैक खण्ड हेतु भारित कारक

Ti, Tj, Tk, TIL, TCI, Tm व Tn = i वीं ऐसी लाइन, i वा HVDC खंभा, k वीं ICT, i वीं SVC (इन्डक्टिव संचालन) l वीं SVC (कैपेसिटिव संचालन), m वीं स्विच्उ बस रिएक्टर व n वीं HVDC बैक–टु–बैक खण्ड के विचाराधीन अवधि के कुल घंटे (6ठवें पैरा में नीचे दिये दी गई प्रकिया के कारणों हेतु पारेषण अनुज्ञापी को आरोप्य न होने वाली आउटेज हेतु समय अवधि को छोड़ कर)

TNAi, TNAj, TNAk, TNAIL, TNAm o TNAn = अनुपलब्ध घंटे (पैरा 5 में नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध मानी गयी, पारेषण अनुज्ञापी को आरोप्य न होने वाली आउटेज हेतु समय अवधि को छोड़कर)

i वीं AC लाईन j वां HVDC खंभा, k वीं ICT, l वीं SVC (इन्डक्टिव संचालन) l वीं SVC (इन्डक्टिव संचालन) l वीं SVC (कैपेसिटिव संचालन) m वीं स्विचड बस रिएक्टर तथा n वीं HVDC बैक–टु–बैक खण्ड हेतु।

(5) नीचे दिये गये कारणों द्वारा आउटेज के अन्तर्गत पारेषण अवयव जो पारेषण अनुज्ञापी पर आरोप्य न हों, उपलब्ध माने जायेंगे।

(a) अपनी वितरण प्रणाली के अनुरक्षण या निर्माण हेतु अन्य अभिकरण/अभिकरणों द्वारा उपयोग किये गये, वितरण अनुज्ञापी के वितरण अवयवों का बंद होना।

(b) अधिक विभव के कारण पारेषण अनुज्ञापी की लाईन का बंद होना तथा SLDC/RLDC के निर्देशानुसार स्विच्ड बस रिएक्टर का बंद होना।

(6) निम्न आकस्मिकताओं हेतु पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण अवयव की आउटेज अवधि, विचाराधीन समय के अन्तर्गत अवयव के कुल समय में से अपवर्तित कर दी जायेगी।

(a) पारेषण अनुज्ञापी के नियंत्रण से परे, अपरिहार्य घटनाओं तथा ईश्वरीय कृत्य के कारण अवयवों के आउटेज। किन्तु SLDC को सन्तुष्ट करने का भार कि अवयव आउटेज ऊपर बनाई गई घटनाओं के कारण था न कि डिजाइन की असफलता के कारण, पारेषण अनुज्ञापी पर रहेगा। SLDC द्वारा एक युक्तियुक्त समय अवयव के पुनःस्थापन हेतु लिया गया समय पारेषण अनुज्ञापी पर आउटेज अवधि के रूप में आरोप्य होगा। पुनःस्थापन की अवधि के आकलन हेतु, SLDC पारेषण अनुज्ञापी तथा किसी विशेषज्ञ से परामर्श कर सकती है। ERS (आपात पुनःस्थापन प्रणाली द्वारा पुनःस्थापित परिपथ, उपलब्ध समझे जायेंगे)

(b) पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न होने वाले ग्रिड प्रसंगति/व्यवधान द्वारा हुए आउटेज उदाहरणार्थ अन्य अभिकरण के स्वामित्व वाले खण्ड या उपस्टेशन की खराबी जिसके फलस्वरूप पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण का आउटेज, लाइनों ICTs बैक–टु–बैक स्टेशन का बंद होना इत्यादि ग्रिड में व्यवधान के कारण हों। किन्तु, यदि युक्तियुक्त अवधि के अन्दर ग्रिड प्रसंगति/व्यवधान के उपरान्त प्रणाली को सामान्य रूप में लाते समय SLDC/RLDC द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर अवयव पुनःस्थापित नहीं होते हैं तो आउटेज की पूर्ण अवधि के लिये अवयव को अनुपलब्ध समझा जायेगा तथा आउटेज अवधि पारेषण अनुज्ञापी पर आरोप्य होगी।

(7) यदि किसी अवयव के आउटेज के कारण केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र के स्टेशन(नों) में उत्पादन की हानि होती है तो उस अवयव के लिये आउटेज अवधि जिस दिन/दिनों में यह हानि हुई है उसकी वास्तविक आंउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगी।